न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 285/2026

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मैना पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. मनी पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 270/256 के ख0न0 281/2 की 0.3410 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व मे वादी के पिता मनफुल के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. औद हुई एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित है। प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 2 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्याधिक धन सम्पदा है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है एंव प्रतिवादी 3 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता है तथा प्रतिवादी सं. 3 अपने पुत्रगण से अत्याधिक स्नेह एंव मोह रखती है इसलिए उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 270/256 की कुल तादादी 0.3410 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कजमजन करवाकर इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि है सयुक्त तौर से दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व मे वादी के पिता मनफुल के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. औद हुई एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित है। प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 2 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्याधिक धन सम्पदा है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है एंव प्रतिवादी 3 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता है तथा प्रतिवादी सं. 3 अपने पुत्रगण से अत्याधिक स्नेह एंव मोह रखती है इसलिए उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 270/256 की कुल तादादी 0.3410 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कजमजन करवाकर इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 270/256 के ख0न0 281/2 की 0.3410 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व मे वादी के पिता मनफुल के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. औद हुई एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वाद भूमि के हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित है। प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 2 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्याधिक धन सम्पदा है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है एंव प्रतिवादी 3 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता है तथा प्रतिवादी सं. 3 अपने पुत्रगण से अत्याधिक स्नेह एंव मोह रखती है इसलिए उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 270/256 की कुल तादादी 0.3410 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कजमजन करवाकर इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 270/256 की कुल तादादी 0.3410 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कजमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 285/2026

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मैना पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. मनी पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 285 सन 2026 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 270/256 की कुल तादादी 0.3410 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कजमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर